यौन उत्पीड़न के मामले में अपनाई जानेवाली मूलभूत प्रकिया ः सहायता समूह और दूसरों के लिए दिशानिर्देश की ओर

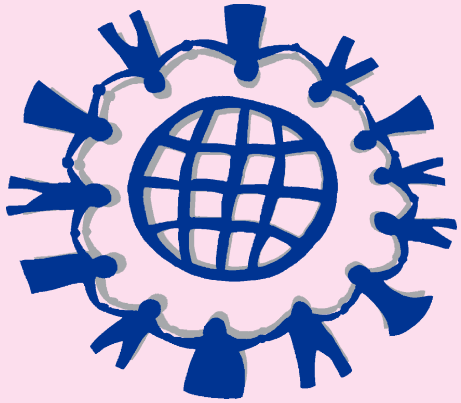

यह प्रपत्र उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो यौन उत्पीड़न/ बलात्कार पीड़ित व्यक्ति को कानूनी तौर पर न्याय के लिए सहायता करना चाहते है। पीड़ित व्यक्ति को उत्पीड़न के कारण जिस आघात का सामना करना पड़ा है; उस आघात से उभरने के लिए, उत्पीड़न से बाहर आने के लिए और सक्षम बनाने के लिए मनोसामाजिक सहायता का प्रावधान अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

मूलतः यह प्रपत्र अस्पताल पुलिस और न्याय प्रणाली प्रकिया को समझाता है, ताकि पीड़ित व्यक्ति के अधिकार, विपर्यतः कानून का अमल करनेवाली संस्था इसके प्रति उत्पीड़ित व्यक्ति को सहायता और सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति जागरूक रहें ।

अस्पताल

- अपराधिक प्रकिया संहिता (सी . आर . पी . सी .) (अपराधिक कानून संशोधन अधिनियम २०१३) के धारा ३५७ सी के अनुसार अस्पतालों को (दोनों सार्वजनिक और निजी) यौन उत्पीड़न से पीड़ित व्यक्ति को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना आवश्यक है । पुलिस का आवेदन पत्र या प्राथमिक सूचना रिपोर्ट [FIR] ना होने के कारण इसे नाकारा नहीं जा

- वित्तीय सहायता और सहायता सेवाएँ दोनों को मिलाकर एक पीड़ित महिला को कुल उपलब्ध सहायता लगभग १ . ४० /- लाख रूपये तक की हो सकती है। (५ . १ . १६ इस अंतर्गत योजना के तहत)
- विशेष मामलों में नाबालिग लड़कियों का शामिल होना, मानसिक रूप से विकलांग /विकलांग जिन्हे विशेष उपचार और सेवा की जरूरत है, या फिर जो यौन संक्रमित बीमारी, एच आय व्ही /एड्स से संक्रमित हो जाते है, या गर्भवती हो जाती है, या किसी अन्य आधार पर जिल्हा निहाय समिती के संदर्भ पर और परामर्श पर योजना के तहत राज्य बोर्ड द्वारा सहायता की राशि अधिकतम २ . ०० /- लाख रूपये तक बढ़ायी जा सकती है । (५ . १ . १८ इस अंतर्गत योजना के तहत)
- सी . आर . पी . सी . की धारा ३५७ के तहत ठीक दोषी ठहराए जाने के फैसले के एक भाग के रूप में अदालत दंड़ के रूप में मुआवजा का आदेश दे सकती है ।
- सी . आर . पी . सी . की धारा ३५७ वी के तहत भले ही उत्पीड़ित व्यक्ति को महिलाओं का संरक्षण और सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त हुआ है फिर भी यह मुआवजा दोषी को दंड़ के रूप में दिया गया है इसे नाकारा नहीं जा सकता ।
- अपराध के पीड़ित की मृत्यु के मामले में यह मुआवजा उसके निकटतम परिजन को दिया जा सकता है ।

सेहत

सेंटर फोर एनक्वायरी इनटू हेल्थ ऐंड अलाईड थीम्स्
सर्वे नं . २८०४ व २८०५ आराम सोसायटी रोड,
वाकोला, सांताकुज - पूर्व, मुंबई : ४०००५५.
टेल. नं. २६६७३५७१/२६६७३१५४ फॅक्स:२६६७३१५६
ई - मेल: cehatmumbai@gmail.com
वेबसाईट: www.cehat.org

सकता। आय.पी.सी धारा १६६ बी के तहत कानूनी तौर पर वैध वैद्यकीय जाँच और उपचार को इनकार करने से एक साल के कारावास का दंड़ दिया गया है।

- यह जाँच किसी भी पंजीकृत डॉक्टर द्वारा की जा सकती है। (धारा १६४(ए) सी.आर.पी.सी.) इस प्रकार से यह किसी भी एक निजी अस्पताल में अच्छी तरह से किया जा सकता है।
- पीड़ित व्यक्ति वैद्यकीय जाँच और ध्यान पाने के लिए स्वयं ही अस्पताल पहुँच सकती है, अथवा पुलिस द्वारा भी उसे वैद्यकीय जाँच और उपचार के लिए अस्पताल में लाया जा सकता है। इस प्रकार यह जानना जरूरी है, कि सभी अस्पतालों को यह समझना ही होगा कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा स्वैच्छा से अस्पताल में आने पर, उसे पुलिस आवेदन पत्र या प्राथमिक सूचना रिपोर्ट [FIR] नहीं होने पर सेवाओं के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। (धारा ३५७ सी, सी.आर.पी.सी)
- उत्पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करनेवाले/उनको सहायता करने में रूची रखनेवाले लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा प्रदान करनेवाले स्वास्थ्य पेशेवरों की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। उत्पीड़ित व्यक्ति के लिए परीक्षण करनेवाले डॉक्टर यह एक कानूनी चिकित्सक के साथ ही चिकित्सक की भूमिका भी निभाता है।
- एक डॉक्टर की चिकित्सीय भूमिका तत्काल चिकित्सा सहायता का प्रावधान और मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा पर जोर देता है। चिकित्सा सहायता में चोट के निशान का इलाज, घाव, वहता खून, संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबॉयटिक का प्रावधान, एच.आय.व्ही. तथा यौन संचारित रोगों के लिए मूल्यांकन, आपात्कालिन गर्भनिरोधक उपलब्ध कराना, यदि स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में रिपोर्टिंग में देरी हो रही है तो गर्भावस्था का मूल्यांकन करवाना यह शामिल है। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार में उत्पीड़ित व्यक्ति को बुनियादी संदेश के साथ संवाद स्थापित करके यह समझने के लिए सक्षम बनाना है; कि यौन उत्पीड़न यह उसकी गलती नहीं है बल्कि यह शोषण की सत्ता के हेतु से किया गया एक कृत्य है।
- इस तरह की प्राथमिक चिकित्सा में इस बात का भी समावेश होना जरूरी है, कि उस उत्पीड़ित व्यक्ति को इस तरह से प्रोत्साहित करे, ताकि वह इस दुर्व्यवहार के प्रति अपनी भावनाओ कों प्रकट करें और उससे निपटने के लिए सक्षम बने। आत्महत्या की रोकथाम भी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। (कृपया यहाँ पर आप चिकित्सा जाँच और उपचार के बारे में और अधिक पढ़ें आरोग्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,

- महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के तहत मुआवजा वित्तीय सहायता के साथ ही विभिन्न सहायता सेवाएँ जैसे कि समुपदेशन, आश्रय, वैद्यकिय और कानूनी सहायता के रूप में हो सकता है।
- इस घटक के अंतर्गत वित्तीय सहायता और सहायता सेवाओं के लिए एफ. आय. आर.दर्ज करने की तारीख से ६० दिनों के भीतर निर्धारित आवेदन में पीड़ित औरत द्वारा या उसके कानूनी वारिस द्वारा अथवा नाबालिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के मामले में उसके कानूनी वारिस द्वारा या घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम २००५ के अंतर्गत नियुक्त किए गये संरक्षण अधिकारी द्वारा उसकी तरफ से आवेदन दायर किया जा सकता है जो सक्रिय रूप से आवेदक की तरफ से आवेदन दायर करने में मदद करेगा। (५.१.१६ इस अंतर्गत योजना के तहत)
- जैसे ही बलात्कार की घटना सूचित होती और दर्ज होती है तो संबंधित पुलिस थाने के एस. एच. ओ. को ७२ घंटे के भीतर एफ. आय. आर. की एक प्रति वैद्यकीय रिपोर्ट और आय. ओ. की तरफ से प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट मनोधैर्य योजना तहत नियुक्त जिल्हा निहाय समिती को भेज देनी चाहिए। (५.१.१४ इस अंतर्गत योजना के तहत)
- आवेदन प्राप्त होनेपर और बलात्कार के मामले में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद जिल्हा निहाय समिती को २०,०००/- की अंतरिम वित्तीय राहत ज्यादा से ज्यादा १५ दिन के भीतर चुकानी पड़ेगी और किसी भी मामले में उसका समय तीन सप्ताह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीड़ित महिला के जरूरतों के आकलन पर जिल्हा निहाय समिती उचित सहायता सेवाओं के लिए व्यवस्था कर सकता है और प्रत्येक मामले में अधिकतम २०,०००/- तक का खर्च अपने ऊपर ले सकता है। (५.१.१६ इस अंतर्गत योजना के तहत)
- अपराधिक मुकदमे में पीड़ित व्यक्ति ने उसके सबूत दिए जाने के तारीख से एक माह के अवधि के भीतर और जिन मामलों में उनके नियंत्रण से परे कारणों की वजह से सबूतों की रिकॉर्डिंग के लिए देरी हुई है ऐसे मामलों में एफ. आय. आर. दायर करने की तारीख से एक साल के भीतर १.००/- लाख रूपये की अंतरिम राशि जिल्हा निहाय समिती द्वारा वितरीत की जाएगी इनमें से जो पहले है उसके अनुसार। (५.१.१७ इस अंतर्गत योजना के तहत)

- परीक्षण के दौरान गवाह को पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बुलाया जा सकता है।
- अदालत के कथन में मुख्य परीक्षण और प्रति परीक्षण समाविष्ट होता है।
- गवाह को जिस पक्ष ने बुलाया है उस पक्ष द्वारा उसका परीक्षण मुख्य परीक्षा परीक्षा-इन-चीफ) कहलायेंगा, जब कि विपक्षी पार्टी द्वारा गवाह की परीक्षा प्रति परीक्षण कहलायेंगा इस प्रकार उत्पीड़ित व्यक्ति के मामलें मुख्य परीक्षा (परीक्षा-इन-चीफ) सरकारी वकील द्वारा और प्रति परीक्षण विपक्ष के वकील द्वारा किया जाता है।
- किसी भी परीक्षण के दौरान (मुख्य परीक्षा एवं/अथवा प्रति परीक्षण)उत्पीड़ित व्यक्ति के सामान्य अनैतिक व्यवहार अथवा पूर्व यौन अनुभव के बारे में प्रश्न अथवा टिप्पणी करने की अनुमति नहीं है। (२०१३ के आपराधिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा १४६ में संशोधन)
- त्वरीत परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा [POCSO] अधिनियम २०१२ के तहत आनेवाले अपराधों के लिए अदालत में एक कमरा विशेष रूप से नामित किया गया है (२८(१) यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा [POCSO] अधिनियम के अनुसार) १८ साल से कम आयु के उत्पीड़ित व्यक्ति के सभी मामले अदालत के इसी कमरे में चलाए जाते है जिस मामलें में अभियुक्त जब तक कि एक किशोर है वह मामला बाल न्यायालय में चलाया जाता है(३४(१) यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा [POCSO] अधिनियम के अनुसार)
- १८ साल से अधिक आयु वाले उत्पीड़ित के लिए महिला न्यायाधीश का प्रावधान है। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष न्यायालय का भी प्रावधान किया है। पर उस पर अब तक सभी जगह अमल किया नहीं गया है।
- इस विशेष अदालत में जहाँ तक संभव है संज्ञान लेने के १ साल के भीतर ही मामले का परीक्षण पूरा कर लेना चाहिए जैसे कि सुनवायी की पहली तारीख से। (धारा ३५(२) यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा [POCSO] अधिनियम २०१२ के अनुसार)

मुआवजा

- मुआवजा यह उत्पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है।

भारत सरकार ने यौन उत्पीड़ित व्यक्ति की न्याय चिकित्सिय देखभाल के लिए मार्गदर्शक नितीतत्व जारी किए है http://www.mohfw.nic.in/showfile.php?lid=2737)

- वैद्यकीय कानूनी चिकित्सा में घटना से संबंधित विस्तृत विवरण की मांग, सर से पाँव तक सखोल परीक्षण करना, प्रासंगिक सबूत इकट्ठा करना, वैद्यकीय सबूतों का विवेचन इन सबका समावेश है।
- डॉक्टरों ने चिकित्सा जाँच रिपोर्ट में हायमेन पर पुराने घाव, लचीलापन, यौन की अंदरूनी परत का आकार, अप्रासंगिक प्रसूति का इतिहास (जैसे के पिछले गर्भपात, अतीत की गर्भ निरोधक प्रथाएँ) संभोग की आदतें इनका उल्लेख नहीं करना चाहिए। (धारा १४६ भारतीय साक्ष्य अधिनियम)
- अदालत में डॉक्टरों द्वारा प्रस्तुत किया गया दस्तावेज विशेषज्ञ गवाह के रूप में है। अतः इसमें उत्पीड़ित व्यक्ति के शब्दों में घटना की कथा का होना, प्राप्त किए गये सबूतों का ब्योरा, जख्मों का विवरण और जिनका उत्पीड़ित व्यक्ति को सामना करना पड़ा है ऐसे स्वास्थ परिणाम, उत्पीड़न और जाँच इन दोनो के बीच बिता हुआ समय और निष्कर्षो की व्याख्या इन सब बातों को शामिल करना चाहिए। (सी. आर. पी. सी. के धारा १६४ ए के अनुसार)
- परीक्षण करनेवाले डॉक्टरों द्वारा की गयी वैद्यकीय निष्कर्षो की व्याख्या खाते में रखना जरूरी है। उत्पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गयी गतिविधिया सबूतों का नुकसान करवा सकती है (जैसे स्नान, पेशाब, कपड़े बदलना, पानी के फुहार का इस्तेमाल)। उसे दी गयी धमकी, मजबूरी का फायदा उठाना, नशा और उसी तरह अपने आप में यौन उत्पीड़न की प्रकृती भी।
- बलात्कार (धारा ३७५ आय. पी. सी.) और यौन उत्पीड़न (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम [POCSO], २०१२) यह कानूनी व्याख्या है, और इसलिए अदालत का जनादेश है कि, वैद्यकीय जाँच करनेवाले डॉक्टर यह तय नहीं कर सकते।

- अस्पताल द्वारा मेड़िकल रिपोर्ट की एक प्रति उत्पीड़ित व्यक्ति को मुफ्त देनी चाहिए। अस्पताल दो कारणों की वजह से इसे अभियुक्त को नहीं दे सकता।

१. एक तो यह उत्पीड़ित व्यक्ति का रिपोर्ट है और यहाँ तक की; सूचना अधिकार अधिनियम की धारा ८ की तहत यह दस्तावेज न देने की छूट दी गयी है।

२. यदि आरोपपत्र दायर किया गया है, और यदि अभियुक्त को मेड़िकल रिपोर्ट की आवश्यकता होती है तो वह पुलिस से प्राप्त कर सकता है।

पुलिस ः

प्राथमिक सूचना रिपोर्ट [FIR]

- एफ. आय. आर. का मतलव प्राथमिक सूचना रिपोर्ट है। यह पुलिस को दी गयी शिकायत के दस्तावेज है। जिसमें अपराध की कृति के बारे में जानकारी होती है। यह एक औपचारिक शिकायत है, जिसके आधार पर पुलिस जाँच शुरू करती है।

- उत्पीड़ित व्यक्ति को स्वयं ही एफ. आय. आर. दायर करने की आवश्यकता नहीं है। उत्पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई भी व्यक्ति उदा. माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, अभिभावक भी मुखविर के रूप में कार्य कर सकते है। जो व्यक्ति गुनाह की जानकारी प्रथम पुलिस को देती है उसके नाम और हस्ताक्षर से प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दाखिल किया जाता है। उसकी एक प्रति गुनाह की जानकारी देनेवाली व्यक्ति को देना पुलिस के लिए वंधनकारक है।

- अपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) धारा १५४ के अनुसार पुलिस को एक संज्ञेय अपराध[१] से संवंधित लिखित या मौखिक रूप से दी गयी कोई भी जानकारी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में तफदील होनी ही चाहिए।

- पुलिस को दी गयी जानकारी लिखित या मौखिक रूप से दी जा सकती है। जव यह जानकारी मौखिक रूप से दी गयी है, तो यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह यह जानकारी मुखविर के शव्दों मे लिखित वयान के साथ लिखित शिकायत में परिवर्तित करें। एक वार

[१] संज्ञेय अपराध मतलव ऐसा अपराध जिसमें पुलिस न्यायालयकी अनुमति लिए विना कारवाई शुरू कर सकती है और आरोपपत्र के विना अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है।

- पीड़ित व्यक्ति को अभियुक्त के जमानत के खिलाफ लड़ने का अधिकार है कोई भी सरकारी वकील[२] (राज्य द्वारा नियुक्त वकील) अथवा जाँच अधिकारी को एक आवेदन देकर ऐसा कर सकता है।

- पीड़ित व्यक्ति को निरीक्षण अधिवक्ता (वकील) नियुक्त करने का अधिकार है जो उसे जव आरोपी जमानत के लिए लागू होता है तो यह वताता रहे कि कव आरोपपत्र दाखिल किया गया कव पहली सुनवाई रखी गयी है और इसी तरह से उसकी तरफ से नियमित रूप से अदालत में जाता रहे।

अदालत

- एक वार अदालत में आरोपपत्र दायर किए जाने के वाद अदालत द्वारा परीक्षण शुरू करने के लिए तारीख दी जाएगी।

- यह तारीख पीड़ित व्यक्ति को (और गवाह को) जहाँ पर परीक्षण किया जाएगा उस अदालत और अदालत के कमरा नंवर के विवरण के साथ समन द्वारा सूचित कर दी जाएगी।

- आमतौर पर शिकायतकर्ता (अथवा एफ. आय. आर. का मुखविर) पहला गवाह है उसके वाद उत्पीड़ित व्यक्ति (यदि वह शिकायतकर्ता से अलग है), वह जो उत्पीड़ित व्यक्ति के साथ जुड़े है; पंच, परीक्षण करनेवाले डॉक्टर, जाँच अधिकारी यह सव सरकारी पक्ष से गवाही देते है। और अंत में जिस पर आरोप लगाया गया है वह यदि वह वयान देना चाहे तो, शपथ पर वयान दे सकता है। अभियुक्त के तरफ से गवाह हो तो वो गवाही दे सकते है।

- उत्पीड़ित व्यक्ति का परीक्षण कैमेरे में होगा जिसका मतलव है वहाँ कोई आम जनता उपस्थित नहीं होगी सिर्फ न्यायाधीश सरकारी वकील विपक्ष का वकील अदालत के कर्मचारी ही उपस्थित होंगें। (अपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम २००८ के अनुसार (संशोधन धारा ३२७) सी.आर.पी.सी.)

[२] देश में होने वाला हर एक गुनाह किसी एक व्यक्ति के खिलाफ न होके वो पुरे देश या पुरे राज्य के खिलाफ किया हुआ गुनाह है। इसलिए उत्पीड़ित व्यक्ति के तरफ से राज्य सराकार केस चलाता है। सरकारी वकील न्यायालय में उत्पीड़ित व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते है।

- आमतौर पर आरोपपत्र एफ. आइ. आर. दाखिल करने के वाद ९० से १२० दिन के भीतर अदालत में दायर किया जाता है तथापि यह कालावधि विशेष शर्तो के तहत वढ़ाया भी जा सकता है जैसे कि अभियुक्त अज्ञात जगह पर फरार है।

पुलिस रिमांड न्यायिक रिमांड और जमानत

- जैसे ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसे हवालात में वंद कर देते है उसके वाद २४ घंटे के अंदर उसे मॅजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है।

- अगर जाँच इन २४ घंटो में पूरी नहीं हुई तो उसे मॅजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उसके खिलाफ आरोपों को अच्छी तरह से स्थापित किया जाता है मॅजिस्ट्रेट पुलिस को १५ दिन के रिमांड़ का आदेश दे सकते है।

- इन १५ दिनों का इस्तेमाल आरोपी के हस्तक्षेप के विना और उसके दवाव के ड़र के विना जाँच करने के लिए और सवूत इकट्ठा करने के लिए किया जाता है।

- इन १५ दिनों के पूरे होने के वाद एक वार फिर से आरोपी को मॅजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और यदि जाँच पूरी नहीं हुई है तो न्यायिक रिमांड के आदेश दिया जा सकता है।

- जव आरोप किए गये आरोपी के अपराध कि सजा १० साल से कम है तो न्यायिक रिमांड़ ६० दिन से अधिक नहीं हो सकता। और यदि अपराध कि सजा १० साल से ज्यादा है तो न्यायिक रिमांड़ ९० दिनों से अधिक नहीं हो सकता।

- आरोपी जाँच के दौरान किसी भी समय जमानत के लिए आवेदन दे सकता है।

- जव व्यक्ति पर एक अपराध का आरोप लगाया गया है जिसकी सजा ७ साल या उससे ज्यादा है तो मॅजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जमानत का आवेदन खारिज किया जाएगा और आरोपी को सत्र न्यायलय में आवेदन देने के लिए कहाँ जाएगा।

लिखने के बाद यह मुखविर को पढ़कर सुनाई जानी चाहिए और वह समझ सके ऐसी भाषा में समझाया जाना चाहिए और उसके हस्ताक्षर भी लेने चाहिए। (धारा १५४ (१) सी.आर.पी.सी.)

- प्राथमिक सूचना रिपोर्ट कि (एफ.आय.आर.) एक प्रति प्राप्त करना मुखविर का अधिकार है। (धारा १५४(२) सी.आर.पी.सी.)

- यौन उत्पीड़न के मामले में एफ.आय.आर. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अथवा वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ही दर्ज किया जाना चाहिए। (धारा १५४(१) सी.आर.पी.सी. प्रावधान)

- यदि उत्पीड़ित व्यक्ति एक औरत है और वह खुद जानकरी दे रही है तो एफ.आय.आर. किसी महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज करवानी चाहिए। हालाँकि महिला पुलिस अधिकारी के अनुपस्थिति में एक पुरूष पुलिस अधिकारी एक महिला कॉस्टेंवल के उपस्थिति में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ.आय.आर.) दायर कर सकता है।

- यदि पुलिस एफ.आय.आर. दायर करने के लिए मना करती है, तो उत्पीड़ित व्यक्ति को मॅजिस्ट्रेट न्यायालय में जाने का अधिकार है, जो पुलिस को एफ.आय.आर. दर्ज करने का आदेश दे सकता है। (धारा १५६(३) सी.आर.पी.सी के अनुसार)

- एफ.आय.आर. किसी भी पुलिस थाने में दर्ज की जा सकता है; ना कि सिर्फ जिस क्षेत्र में घटना घटी है उस के अंतर्गत आनेवाले अधिकारक्षेत्र। यह उस पुलिस थाने की जिम्मेदारी है, जहाँ एफ.आय.आर. दर्ज हुई है कि वे, जहाँ घटना घटी है वहाँ के पुलिस थाने में मामले को स्थानांतरित करें जिसे शून्य नंवर का एफ.आय.आर. कहा जाता है। (मुंवई पुलिस नियम पुस्तिका विभाग ३ नियम नं ११९ ए)

- यदि एक वार संज्ञेय अपराध की जानकारी पुलिस को दी गयी है, तो यह पुलिस की जिम्मेदारी वनती है कि वह उत्पीड़ित व्यक्ति को सहज लगे ऐसे किसी भी जगह पर उसका वयान ले सकती है। यह उसका घर, अस्पताल या कोई भी अन्य जगह हो सकती है। वयान देते समय उत्पीड़ित व्यक्ति जिससे उसे सहजता महसूस होती है ऐसे किसी भी व्यक्ति के उपस्थिति का अनुरोध कर सकती है, अथवा वयान देते समय उसे सहजता न लगे तो उस व्यक्ति के अनुपस्थिति का भी अनुरोध कर सकती है। (खंड १५७

सी.आर.पी.सी. के अनुसार, अपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम २००८)

- एफ.आय.आर. दायर करने के बाद घटना से संबंधित विविध लोगों के बयान लिए जाएँगे। वह बयान उस व्यक्ति ने क्या बताया है इसका लेखा जोखा होगा।
- एफ.आय.आर. यह आरोपपत्र का एक भाग होगा जो जाँच के पूरे होने पर पुलिस द्वारा अदालत में दायर किया जाएगा।

एफ.आय.आर. दायर करने के बाद उत्पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार को धमकी मिलना या होनेवाले खतरे के मामले में -

- यह संभव है की एफ.आय.आर. दायर करने के बाद अभियुक्त उत्पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवारवालों को धमकी देकर या अन्य रणनीति का उपयोग करके भयभीत करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे मामलों में उत्पीड़ित व्यक्ति एक गैर संज्ञेय शिकायत दर्ज कर सकता है। जो अंततः आरोपपत्र का एक हिस्सा बनेगी। ऐसी धमकियों के खिलाफ पुलिस से कारवाई होना जरूरी है।
- उत्पीड़ित व्यक्ति पुलिस को उसे उसके परिवारवालों के जीवन को खतरा है ऐसा हवाला देते हुए पुलिस सुरक्षा का अनुरोध करनेवाला एक आवेदन पत्र भी दे सकता है।

पंचनामा

- पंचनामा व्यक्ति की गिरफ्तारी तलाशी और जब्ती के समय के लोगों के एक बयान है।
- सी.आर.पी.सी. धारा १०० के तहत कम से कम दो पंचों की उपस्थिति अनिवार्य है। पंचों में अथवा गवाहों में स्वतंत्र और सम्मानजनक लोगों को होना चाहिए।
- जहाँ पर घटना हुई है, उस जगह का पंचनामा एक स्पॉट पंचनामा कहलाता है।
- जब्ती पंचनामा - आमतौर पर यह तब किया जाता है, जब कपड़े सबूत के तौर पर जब्त किये जाते है। यह पता लगाने के लिए की सबूत के रूप मे लिए गये कपड़े वही है जो अभियुक्त ने पहने थे।

- गिरफ्तारी पंचनामा - आमतौर पर यह तब किया जाता है, जब अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

सी.आर.पी.सी. १६४ के तहत वक्तव्य

- उत्पीड़ित व्यक्ति या कोई भी गवाह पुलिस कारवाई के दौरान परीक्षण शुरू होने से पहले मॅजिस्ट्रेट अदालत के आरोपपत्र दायर करने से पहले अपना बयान दर्ज कर सकते है इस तरह के बयान कानून की अदालत में ठोस होते है इस तरह के बयान को दर्ज कराने के लिए पुलिस को अनुरोध किया जाना चहिए।
- यह बयान जाँच की प्रकिया के दौरान किया जा रहा है और इसलिए आरोपपत्र दायर करने से पहले ही अदालत में बयान दाखिल किया जाना चहिए।
- घटना के बाद काफी समय बीत जाने पर जब मामला सुनवाई के लिए आता है और पीड़ित को परीक्षण के स्तर पर सभी बातें याद नहीं रहती तब ऐसा करने की सलाह दी जाती है। (खासकर अगर पीड़ित एक बच्चा है)

आरोपपत्र

- आरोपपत्र अदालत में पुलिस द्वारा दायर किया गया अंतिम रिपोर्ट है।
- यह रिपोर्ट मॅजिस्ट्रेट को सूचित करता है, कि इस संज्ञेय अपराध में जाँच अधिकारी अपराध के बारे में अदालत में पूछताछ करने के लिए प्रर्याप्त सबूत प्राप्त कर पाया है और आवश्यक जानकारी अदालत में भेजी जा रही है। (K.VeeraswamiVs Union Of India (1991) 3 SCC 655)
- सी.आर.पी.सी. के धारा १७३ के अनुसार आमतौर पर यह होता है - व्यक्तियों का नाम (आरोपी), जानकारी के प्रकार; इस मामले के परिस्थितियों की जानकारी रखनेवाले लोगों के नाम (गवाह, जिन्हें अदालत में गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा); अपराध (आरोपियों के खिलाफ लगाए गये आरोंपों का ब्योरा); क्या पुलिस का मानना है कि अपराध किया गया है और यदि हाँ तो फिर किसके द्वारा।
- आरोपपत्र अभियुक्त का अपराध स्थापित नहीं करता है।